बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 302713 पटना, दिनांक 03/03/17

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(विशेष परियोजना)-102-34/2013

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत विशेष परियोजना प्रस्ताव प्रेषण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बी0पी0एल0 परिवारों को आवास निर्माण हेतु इंदिरा आवास योजनान्तर्गत सहायता राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान निम्नवत रहा है :-

(1) वित्तीय वर्ष 2013-14 के पूर्व मार्गदर्शिका में प्राकृतिक आपदा प्रभावित बी0पी0एल0 परिवारों को जिला पदाधिकारी की स्वीकृति से जिला में उपलब्ध निधि से तत्काल आवास निर्माण हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराकर पीड़ित परिवारों को राहत पहुँचाने तथा इस मद में व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित निधि की प्रतिपूर्ति हेतु भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने का प्रावधान था । एतद् संबंधी मार्गदर्शिका की कंडिका-4.4.1 में किये गये प्रावधान का अंश सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है ।

(2) वित्तीय वर्ष 2013-14की मार्गदर्शिका में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बी0पीएल0 परिवारों को योजनान्तर्गत आवास निर्माण हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराने के निमित जिलों के द्वारा वांछित कागजातों एवं प्रमाण पत्रों के साथ प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराना था तथा विभाग स्तर से जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को समेकित कर भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के स्तर पर गठित Empowered Committee के अनुमोदन हेतु भेजकर, स्वीकृति के उपरांत इस निमित्त विमुक्त निधि से पीड़ित परिवारों को आवास निर्माण हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया । वर्ष 2013 की मार्गदर्शिका की कंडिका-3.2.4 (विशेष परियोजना) में किये गये प्रावधान का अंश एवं विशेष परियोजना प्रस्ताव का प्रपत्र की प्रति सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है ।

(3) वित्तीय वर्ष 2016-17 से इंदिरा आवास योजना को पुर्नगठित कर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का कार्यान्वयन कराया जा रहा है जिसमें SECC 2011 में आवास की आवश्यकता वाले चिन्हित परिवारों में से पात्र लाभुकों का चयन किया जाना है ।

इस योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त फ्रेमवर्क की पुस्तिका के अध्याय 11 में प्राकृतिक आपदा आदि से प्रभावित परिवारों को

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान भी है । नये प्रावधान के अनुसार एतद् संबंधी विशेष परियोजना प्रस्ताव पूर्व की भांति भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के स्तर पर गठित Empowered Committee की स्वीकृति हेतु भेजा जाना है । विशेष परियोजना प्रस्ताव प्रेषण से संबंधित फ्रेमवर्क में किये गये प्रावधान के अंश की प्रति सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है ।

प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि विधान मंडलीय मामलों एवं अन्य संदर्भों में जिलों द्वारा विभाग के संज्ञान में लाया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के पूर्व के प्रावधान के अंतर्गत आपदा पीड़ित बी0पी0एल0 लाभुकों को मात्र प्रथम किस्त की सहायता राशि ही दी जा सकी है और दूसरी किस्त की सहायता राशि दिये जाने के लिए वर्तमान व्यवस्था (FTO) के माध्यम से भुगतान करने की अनुमति की अपेक्षा की जा रही है । स्वभावत: ऐसे लाभुकों का मकान निर्माणाधीन श्रेणी में रह जाने के कारण पीड़ित लाभुकों के समक्ष आवास की समस्या यथावत होगी जबकि प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत पात्र परिवारों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराकर व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति करायी जानी थी ।

इसी प्रकार जिलों से प्राप्त विशेष परियोजना प्रस्तावों को विशेष परियोजना प्रस्ताव के लिए निर्धारित प्रपत्र की अपेक्षाओं के अनुरूप सूचनाओं एवं अभिलेखों को उपलब्ध नहीं होने से भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय को समेकित प्रस्ताव भेजने में कठिनाई होती है ।

यहाँ पुन: स्पष्ट करना है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के पूर्व के जिन मामलों में केन्द्रांश प्रथम किस्त की विमुक्ति हो चुकी है उनमें द्वितीय किस्त केन्द्रांश की विमुक्ति हेतु पूर्व की प्रक्रिया के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रलाय को भेजा जाना अपेक्षित है ।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2013-14 के बाद के प्रेषित विशेष परियोजना प्रस्ताव जिसमें भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रलाय का अनुमोदन प्राप्त नहीं हो सका है उन विशेष परियोजना प्रस्तावों में निहित लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रावधानों के तहत विशेष परियोजना प्रस्ताव प्रेषित किया जाना होगा ।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है :-

(क) वित्तीय वर्ष 2013-14 के पूर्व के प्राकृतिक आपदा के वैसे मामले जिनमें केन्द्रांश प्रथम किस्त की निधि की विमुक्ति हो चुकी है तथा द्वितीय किस्त की निधि की विमुक्ति नहीं हो सकी है, से संबंधित सहायता प्राप्त परिवारों के ब्यौरे (बी0पी0एल0 संख्या सहित), खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जो जिला पदाधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ ही जिला पदाधिकारी द्वारा घटना के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र की आग/दंगा/आगजनी के कथित पीड़ितों को मकान निर्माण के लिए किसी अन्य स्रोत से कोई सहायता नहीं दी गयी है, के साथ पूर्व की प्रक्रिया के अनुसार तैयार कर विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

(ख) वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवारों को आवास निर्माण हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराने के संबंध में प्रेषित विशेष परियोजना प्रस्तावों को वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रभावी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के फ्रेमवर्क के अध्याय-11 में निहित विशेष परियोजना प्रस्ताव के लिए निर्धारित मापदण्डों के आलोक में समीक्षा एवं पुनरीक्षित कर पीड़ित परिवारों की सूची दुर्घटना की तिथि सहित पूर्व के विशेष परियोजना प्रस्ताव के प्रपत्र में SECC का नंबर एवं अन्य संबंधित अभिलेखों एवं प्रमाण पत्रों के साथ विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

3/3/2017

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

प्रधान मंत्री
आवास योजना–ग्रामीण
Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin

सत्यमेव जयते
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

(पीएमएवाई–जी)

के

क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क

विशेष परियोजनाएं

11.1 विशेष परियोजनाओं के लिए आवंटन

11.1.1 पीएमएवाई–जी के तहत वार्षिक केंद्रीय आवंटन का 5% केंद्रीय सरकार के स्तर पर आरक्षित निधि के रूप में रखा जाएगा। इस निधि का उपयोग विशेष परियोजनाओं के तहत राज्यों से प्राप्त किए गए प्रस्तावों के लिए किया जाएगा। विशेष परियोजनाओं के लिए राज्य निम्नलिखित के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है:

क. उन परिवारों का पुर्नवास/पुर्नावंटन जिनके मकान निम्न कारणों से पूरी तरह सेध्आंशिक रूप से टूट–फूट गए हैं:

i. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राष्ट्रीय आपदा प्रंबधन योजना में दी गई प्राकृतिक आपदाएं–बाढ़, भूंकप, आग आदि।

ख. निम्नलिखित के कारण प्राभावित/लाभन्वित परिवार

i. अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित मुद्दें

ii. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

iii. पेशों से जुड़ी बीमारी जैसे सिलीकोसिस, एसबेस्टोस, कीटनाशक दवाइयों के अत्यधिक उपयोग से प्रभावित व्यक्ति

ग. आत्मसर्मपण करने वाले उग्रवादी और उनके परिवारों का पुर्नावास

घ. विशेष तौर पर किफायती एवं ग्रीन प्रौद्योगिकियों और स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करते हुए नई प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन

11.2 विशेष परियोजना के लिए प्रस्ताव

11.2.1 राज्य/सं.शा. क्षेत्र सरकार को ग्रामीण विकास मंत्रालय में विशेष परियोजनाओं के लिए उपयुक्त ब्यौरे और औचित्य सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। राज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर अनुमोदन के लिए अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं/विपत्तियों के मामले में प्रस्ताव प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर इन पर विचार किया जाए और सचिव (ग्रामीण विकास), भारत सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाए। ततपश्चात बाद में इस प्रस्ताव को पूर्वव्यापी अनुमोदन के लिए अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष रखा जाएगा।

11.2.2 प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय राज्य को निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करनी चाहिए:–

क) उन लाभार्थियों का निर्धारण करना, जिन्हें विशेष परियोजना के तहत सहायता दी जानी

ख) विशेष परियोजनाओं के तहत निर्धारित किए गए लाभार्थी उन परिवारों से हैं, जिन्हें स्थायी प्रतीक्षा सूची में सूचीबद्ध किया गया है।

ग) नई प्रौद्योगिकी प्रदर्शने के संबंध में लाभार्थियों ने प्रौद्योगिकी प्रदर्शन शुरू करने के लिए

11.3 विशेष परियोजनाओं के लिए निधि

क) विशेष परियोजनाओं के तहत अनुमोदित परियोजनाओं के लिए 2 किश्तों में निधियां रिलीज की जाएगी।

ख) पहली किश्त कुल परियोजना लागत की 50 प्रतिशत लागत के समान होगी।

ग) दूसरी किश्त कुल परियोजना लागत के समान होगी, जिसमें से पहली किश्त कम कर दी जाएगी और राज्य/सं.शा. क्षेत्र के अंश की कमी के कारण कटौती की जाएगी।

घ) राज्यों/विधानमंडल वाले संघ शासित क्षेत्रों की समेकन निधियों में विशेष परियोजना हेतु सभी के लिए रिलीज की जाएगी।

ड़) राज्य स्तर पर पीएफएमएस के माध्यम से बैंक खातों से लाभार्थियों को सीधे सहायता दी जाएगी।

च) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को की गई पहली किश्त की रिलीज की तारीख से एक वर्ष के अंदर विशेष परियोजनाओं के संबंध में खातों का निपटान किया जाएगा।

11.4 विशेष परियोजना के तहत निधियों के रिलीज की प्रक्रिया

11.4.1.1 निम्नलिखित शर्तों पर परियोजना के अनुमोदन के बाद पहली किश्त स्वतः ही रिलीज हो जाएगीः–

क. पूर्व में मंजूर की गई विशेष परियोजनाओं के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर

[redacted]

11.4.1.2 विशेष परियोजना में किसी प्रकार की छूट के लिए किए गए अनुरोध पर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया जाएगाः–

[redacted] जाएगी।

क. विशेष परियोजनाओं के तहत कुल उपलब्ध निधि का 60 प्रतिशत उपयोग, जिसे आवास सॉफ्ट पर दर्शाया गया हो;

ख. भू–संदर्भित समय/दिनांक सहित फोटोग्राफों के साथ–साथ विशेष परियोजनाओं की प्रगति अपलोड करना

ग. पूर्व रिलीज के दौरान यदि कोई शर्ते दर्शायी गई हो, तो उसे पूरा करना

घ. दूसरी किश्त के लिए प्रस्ताव प्राप्त करने की तारीख से एक वर्ष पहले मंजूर की गई विशेष परियोजना के संबंध में खातों का निपटान

11.4.3 दूसरी किश्त की रिलीज के लिए प्रस्ताव सहित निम्नलिखित दस्तावेज राज्य सरकार प्रदान करेगें:–

क. निर्धारित प्रोफॉर्मा में उपयोग प्रमाण पत्र (अनुबंध IV)

ख. आवास सॉफ्ट पर परियोजना के लिए राज्य अंश रिलीज करने वाले स्वीकृति आदेशों की प्रति अपलोड करना

ग. पहली किश्त के रूप में रिलीज की गई निधियों के संबंध में लेखा–परीक्षा रिपोर्ट। यदि लेखा–परीक्षा रिर्पोट में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो इन अनियमितताओं पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी दी जानी चाहिए।

11.5 विशेष परियोजनाओं के तहत प्रशासनिक व्यय

क) [redacted] उद्देश्यों के लिए एकल निधि के रूप में माना जाएगा।

ख) विशेष परियोजनाओं के लिए रिलीज की गई प्रशासनिक निधि की मात्रा विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के सामान्य पीएमएवाई–जी के तहत रिलीज की गई प्रशासनिक निधियों में शामिल की जाएगी।

ग) विशेष परियोजना की किश्तो के साथ प्रशासनिक निधि रिलीज की जा सकती है।

इंदिरा आवास योजना
(आई.ए.वाई.)

दिशा–निर्देश

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली–110114
जून, 2013

राज्य सरकारें, अपने–अपने राज्यों में मकानों हेतु जमीनों के लिए पात्रताएं अधिसूचित कर सकती हैं। जमीन की उपलब्धता और उसकी लागत के आधार पर विभिन्न बस्तियों में उपलब्ध कराई जाने वाली जमीनों के आकार के संबंध में अलग–अलग मानक तय किए जा सकते हैं। आदर्शतः कम से कम 10 सेंट भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

मकानों के लिए जमीन घटक हेतु बसावटों में उपलब्ध सार्वजनिक जमीनें जिला कलेक्टरों द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए और ये जमीनें पात्र भूमिहीन परिवारों को आबंटित की जानी चाहिए। यदि सार्वजनिक जमीन उपलब्ध न हो तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अपेक्षित जमीन खरीदी जा सकती है। यदि यह संभव न हो तो अंतिम उपाय के रूप में जमीन का अधिग्रहण किया जाए।

जमीन का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह जमीन सड़क संपर्कों, पेयजल की उपलब्धता, सार्वजनिक संस्थाओं से निकटता इत्यादि की दृष्टि से उपयुक्त हो। राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थान के चयन में उन लोगों की भागीदारी हो, जिनके लिए चयन किया जा रहा हो और उन्हें वह स्थान पूरी तरह स्वीकार्य हो।

यदि इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि पर्याप्त न हो तो राज्य सरकार अतिरिक्त निधियां प्रदान कर सकती है। यदि लाभार्थी जमीन खरीदने के लिए इच्छुक हो तो विधिवत सत्यापन के बाद पात्रतानुसार राशि की प्रतिपूर्ति उसे की जा सकती है। राज्यों को इस घटक के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी करने चाहिए।

जमीन पाने वाले ऐसे सभी भूमिहीन लोगों को मकान उपलब्ध कराने के लिए राज्य परियोजनाएं तैयार करके इन्हें आई.ए.वाई. के अंतर्गत प्राथमिकता दे सकते हैं। मकानों के लिए जमीनें पाने वाले ऐसे भूमिहीन लोगों

के आधार पर निर्धारित करेगा और इन निधियों का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकेगा।

3.2.4 विशेष परियोजनाएं

आई.ए.वाई. आबंटन की 5% निधियां केंद्रीय स्तर पर आरक्षित रखी जाएंगी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र इन

हैं: –

(1) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित बीपीएल परिवारों का पुनर्वास

(2) हिंसा और विधि व्यवस्था से संबंधित समस्याओं से प्रभावित बीपीएल परिवारों का पुनर्वास

(3) मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों और मैला ढोनेवालों को बसाने की परियोजनाएं

(4) विशेष रूप से असुरक्षित जनजातीय समूहों को बसाने की परियोजनाएं

*** (5) व्यवसाय संबंधी रोगों, जैसे कि सिलिकोसिस, एसबेस्टोस से प्रभावित लोग., कीटनाशकों इत्यादि के बहुत अधिक इस्तेमाल से प्रभावित या कालाआजार जैसे रोगों की महामारी से प्रभावित लोगों का पुनर्वास।**

***(6) अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों, जिन्हें आमतौर पर एफआरए लाभार्थी कहा जाता है, को बसाना।**

*** (7) अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों में विस्थापित होने को मजबूर लोगों को बसाना।**

(8) नई प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन की परियोजनाएं – विशेषकर किफायती और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों पर जोर।

राज्य सरकारों को ये परियोजनाएं पर्याप्त ब्यौरा और औचित्य दर्शाते हुए सितंबर महीने तक ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रस्तुत करनी होगी (सिवाए (1) और (2) के) और अधिकार–प्राप्त समिति अनुमोदन के प्रयोजनार्थ इन पर विचार करेगी।

3.3 वित्तपोषण पद्धति

इस योजना की लागत में भारत सरकार और राज्य सरकारें 75:25 के अनुपात में योगदान करेंगी। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में यह अनुपात 90:10 होगा। मकानों के लिए जमीनें उपलब्ध कराने की लागत में भारत सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी का अनुपात 50:50 होगा। संघ राज्य क्षेत्रों में भारत सरकार पूरी लागत

3.4 निधियों का निर्धारण

राष्ट्रीय स्तर पर 60% निधियां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित की जाएंगी और इन समुदायों के बीच निधियों के वितरण का अनुपात ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समय–समय पर [redacted] रखी जाएंगी। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम 3% लाभार्थी विकलांग व्यक्तियों में से हों। निधियों का राज्य–वार आबंटन पैरा संख्या 3.5 के अनुसार किया जाएगा। निधियों का यह निर्धारण मात्र न्यूनतम सीमा है, जिसकी पूर्ति राज्यों को करनी होगी और राज्य यदि चाहें तो वे इन श्रेणियों के लिए लक्ष्य बढ़ा सकते हैं। इन श्रेणियों से संबंधित लक्ष्य कम नहीं किए जाने चाहिएं। तथापि, यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में से किसी भी श्रेणी के पात्र लाभार्थी उपलब्ध न हों तो इन दोनों श्रेणियों के लक्ष्य एक–दूसरे के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं और इस आशय का प्रमाण– पत्र जारी किया जाए।

यदि किसी जिले में किसी श्रेणी का कोई पात्र व्यक्ति न हो तो जिला कलेक्टर या जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को इस आशय का प्रमाण–पत्र जारी करना चाहिए। एक बार स्वीकृत हो चुका

*** इस मंत्रालय के दिनांक 28.11.2013 के आदेश संख्या एम–13011/07/2013– आरएच के जरिए**

विशेष परियोजनाओं के लिए प्रोफार्मा

1. जिस प्रयोजन के लिए परियोजना का प्रस्ताव है, वह प्रयोजन और उसका औचित्य (आईएवाई के संदर्भ में) :

2. लक्षित समूह :

3. परियोजना क्षेत्र :

4. जिला-वार ब्यौरा (सारणी 1)

क्र. सं.	जिले का नाम	लाभार्थियों की संख्या

5. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :

के रूप में निर्धारित किए गए हैं।

ii. यह प्रमाण पत्र कि राज्य केंद्रीय अंश की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर अपना अंश रिलीज करने के लिए प्रतिबद्ध है।

iii. यह प्रमाण पत्र कि लाभार्थियों को आईएवाई/राज्य आवास योजना/भारत सरकार की किसी अन्य योजना के तहत पहले से कभी कोई आवास संबंधी लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

iv. यह प्रमाण पत्र कि आवास सॉफ्ट में इस परियोजना की रिपोर्ट विशेष परियोजना श्रेणी के तहत दर्ज की जाएगी।

v. यह प्रमाण पत्र कि सभी लाभार्थियों के पास जमीन है/उन्हें जमीन राज्य सरकार ने आबंटित कर दी है।

vi. विशेष पैकेज के अंतर्गत जिस जिले के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट/कलैक्टर से प्रमाण पत्र। giving date of occupancy of house for clarity.

vii. यह प्रमाण पत्र कि मौजूदा वित्तीय वर्ष से तीन वित्तीय वर्ष पहले स्वीकृत किए गए किसी भी विशेष पैकेज का कोई ऐसा लेखा शेष नहीं है, जिसका निपटान न हुआ हो।

viii. यह प्रमाण पत्र कि लाभार्थी स्थायी आईएवाई प्रतीक्षा सूची में शामिल किए गए हैं।

ix. 5% आईएवाई राशि के अंतर्गत कुल आबंटित निधियों, पहले ही उपयोग कर ली गई राशि का ब्यौरा और शेष उपलब्ध राशि को जांच सूची में भी दर्शाया जाए।

6. सामान्य आईएवाई संबंधी जिला वार ब्यौरा (सारणी-I के जिलों के संबंध में)

क्र. सं.	जिला	पिछला वर्ष				मौजूदा वर्ष			
		वित्तीय आबंटन (रूपए लाख में)	लक्ष्य (संख्या)	उपयोग (रूपए लाख में)	प्राप्त लक्ष्य (संख्या)	वित्तीय आबंटन (रूपए लाख में)	लक्ष्य (संख्या)	उपयोग (रूपए लाख में)	प्राप्त लक्ष्य (संख्या)

7. आईएवाई के अंतर्गत मौजूदा विशेष परियोजनाओं का जिला-वार ब्यौरा

जिला	स्वीकृति का वर्ष	प्रयोजन, जिसके लिए स्वीकृति ली गई	वित्तीय आबंटन (रूपए लाख में)	लक्ष्य (संख्या)	उपयोग (रूपए लाख में)	प्राप्त लक्ष्य (संख्या)	क्या देय उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं।

हस्ताक्षर

इंदिरा आवास योजना

दिशा-निर्देश

(31 मार्च, 2011 तक अद्यतन)

ग्रामीण विकास विभाग

भारत सरकार

4.3 प्रस्तावों की देर से प्राप्ति पर कटौती

4.3.1. जिला परिषद/डीआरडीए द्वारा सभी तरह से पूर्ण दूसरी किस्त की रिलीज से संबंधित प्रस्ताव प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए।

4.3.2 वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए, आईएवाई के अंतर्गत दूसरी किश्त की रिलीज के पूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति की तिथि के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विलंब से प्राप्त होने वाले प्रस्ताव पर अनिवार्य कटौती की जाएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत जनवरी और फरवरी माह में प्राप्त हुए प्रस्तावों के लिए वर्ष के कुल केंद्रीय आबंटन पर क्रमश: 10% और 20% की क्रमिक कटौतियां की जाएंगी। अधूरे प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। राज्य से जिस दिन अंतिम जानकारी प्राप्त होती है उस तारीख को प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख के रूप में माना जाएगा।

4.3.3 उपरोक्त प्रावधान (पैरा 4.3.2) के होते हुए भी, राज्य को दूसरी किस्त के लिए प्रस्ताव प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी से पहले प्रस्तुत कर देना चाहिए। प्रस्तावों को 15 फरवरी के बाद 28 फरवरी तक मात्र आपवादिक परिस्थितियों में ही स्वीकार किया जाएगा। फरवरी के बाद प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तथापि, विशेष परिस्थितियों में, यदि प्रस्ताव को मार्च महीने में स्वीकार किया जाता है, तो आबंटन में से 30% की कटौती कर ली जाएगी।

4.3.4 जिला परिषदों/डी.आर.डी.ए. को पहले (वर्तमान वर्ष के दौरान उपलब्ध निधियों से) पूर्व वर्ष में स्वीकृत/शुरू किए गए समस्त अधूरे आवासों को पूरा करना होगा, भले ही अपरिहार्य परिस्थितियों की वजह से पूर्व वर्ष में दूसरी किस्त रिलीज करते समय किसी तरह की कोई कटौती क्यों न की गई हो। वर्तमान वर्ष के दौरान जिलों/राज्यों को निधियों के आबंटन के समय निर्धारित किए गए लक्ष्यों को पूर्व वर्ष के दौरान की गई किसी तरह की [illegible]

4.4 आई.ए.वाई. के अंतर्गत संसाधनों का निर्धारण

4.4.1 **वार्षिक आबंटन (राज्य अंश सहित) के 10 प्रतिशत की जिले-वार सीमा अथवा 70.00 लाख रु, जो भी अधिक हो, के साथ**[1] आई.ए.वाई. के अंतर्गत कुल आबंटित निधियों में से 5 प्रतिशत प्राकृतिक आपदाओं एवं [illegible], आगजनी, तूफान जैसी अन्य आकस्मिक परिस्थितियों से आने वाली आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए रखा जाएगा।

इस कार्य के लिए प्रस्ताव राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त किए जाएंगे जिसमें प्रस्तावित आई.ए.वाई. आवासों के लिए अपेक्षित अनुमानित निधि एवं क्षति की सीमा को दर्शाया गया हो, बशर्ते मकान निर्माण के लिए अन्य स्त्रोतों से सहायता प्राप्त नहीं की गई हो। ऊपरी सीमा जिले के वार्षिक आबंटन का 10 प्रतिशत अथवा 70.00 लाख रु, जो भी अधिक हो, होगी। तथापि, यह प्राकृतिक आपदाओं के लिए अलग से रखी गई 5 प्रतिशत निधि की सीमा के भीतर होगी। यह राहत योजना के अंतर्गत निर्धारित आईएवाई मकान के लिए प्रति इकाई सहायता की सीमा के संबंध में मानदंडों के अनुसार होगी।

---

[1] *मंत्रालय के आदेश सं. एच - 11011/6/2004-आर.एच.(पी) दिनांक 18.08.2008 के माध्यम से*

आग, दंगा और आगजनी के मामले में पीड़ितो को समय पर राहत देने और क्षतिग्रस्त मकानों के तत्काल पुनर्निर्माण को समर्थ बनाने के लिए जिला स्तर पर जिला कलक्टरों/जिला दंडाधिकारियों/उपायुक्तों को पहले व्यय करने और ऐसी आपदाओं के पीड़ितों को सहायता देने के लिए प्राधिकृत किया गया है। यह व्यय अपने संसाधनों में से अथवा जिले के आईएवाई आवंटन से किया जा सकता है। लाभार्थियों के लिए सहायता की अधिकतम सीमा आईएवाई मानदंडों और उपर्युक्त पैरा में उगिखित सीमाओं के अनुसार होगी। डीआरडीए द्वारा इस तरह किए गए व्यय के केन्द्रीय अंश की प्रतिपूर्ति ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की जाएगी। डीआरडीए केन्द्र अंश की प्रतिपूर्ति के लिए सहायता प्राप्त परिवारों के ब्यौरे और खर्च की गई राशि के उपयोग प्रमाण-पत्र जो कलक्टर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो, के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। कलक्टर भी घटना और क्षति की सीमा को प्रमाणित करेंगे और इस आशय का प्रमाण-पत्र देंगे कि आग/दंगा/आगजनी के कथित पीड़ितों को मकान निर्माण के लिए किसी अन्य स्रोत से कोई सहायता नहीं दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ऐसे प्रतिपूर्ति व्यय की पूर्ति आपदाओं के लिए निर्धारित 5 प्रतिशत आईएवाई निधियों से करेगा।[1]

4.4.2 इस योजना की निधियों के इस 5 प्रतिशत प्रावधान में से अप्रयुक्त धनराशि, यदि कोई है, का प्रयोग बेहतर निष्पादन वाले राज्यों/जिलों के लिए आबंटन में किया जाएगा। प्राकृतिक आपदा या अन्य आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने वाले गृह मंत्रालय या किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को भी इन निधियों के आबंटन के बारे में सूचना दी जाएगी, जिससे राहत कार्य में किसी तरह की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इस प्रकार खर्च की गयी निधियों की वास्तविक एवं वित्तीय रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारें द्वारा इन आकस्मिकताओं के लिए किए गए आबंटन के प्रावधान के अंदर किए गए कार्य के संबंध में प्रस्तुत की जाएंगी।

4.5 लेखों का रखरखाव

जिला परिषदें/डी.आर.डी.ए. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखांकन प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी। पूर्व

वर्ष में 31 अगस्त तक या उससे पहले लेखा-परीक्षित कराना होगा। संबंधित डी.आर.डी.ए. की साधारण सभा द्वारा स्वीकृत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की प्रतियां वर्ष में 30 सितम्बर तक या उससे पहले राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को भेजी जाएंगी। उपरोक्त प्रक्रिया संगम ज्ञापन के अनुच्छेदों के अनुसार डी.आर.डी.ए. द्वारा पूर्ण की जाने वाली अपेक्षाओं तथा अपनाई जाने वाली किसी अन्य प्रक्रिया के अतिरिक्त होगी।

4.6 डीआरडीए को राज्य अंश जारी करना

राज्य सरकार अपना अंशदान केन्द्रीय सहायता की रिलीज के एक महीने के अंदर जिला परिषदों/डी.आर.डी.ए. को रिलीज करेगी और इसकी प्रति ग्रामीण विकास मंत्रालय को पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

4.7 इंदिरा आवास योजना के लिए अलग बैंक खाता

डी.आर.डी.ए. द्वारा एक राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित या सहकारी बैंक या डाकखाने में एक अलग से बचत बैंक खाते में आई.ए.वाई. की निधियों (केंद्रीय अंश के साथ राज्य अंश) को रखा जाएगा।

---

[1] *मंत्रालय के आदेश सं. एच - 11011/6/2004-आर.एच.(पी) दिनांक 18.08.2008 के माध्यम से*

M-12018/1/2016-RH(M&T)
Government of India
Ministry of Rural Development
(Rural Housing Division)
****

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated: 2nd february, 2017

To
The Principal Secretary/Secretary (RD)
All State Government and UT administration
Dealing with the Pradhan Mantri Awaas Yojna-Gramin(PMAY-G)

Sub: Registration and Sanctioning of special projects approved under IAY-Reg:

Sir/Madam,

The undersigned is directed to refer to the subject mentioned above and convey the following decisions taken by the Ministry to facilitate registration & sanctioning of beneficiaries under special projects approved under IAY:-

2. The window for registration & sanctioning for all special projects approved under IAY will be opened for all State in AwaasSoft upto 31st March 2017. After 31st March, 2017 request for allowing further registration and sanctioning in AwaasSoft under the respective Special project will not be considered.

3. If targets & allocation under any special project approved under IAY is not reflected on AwaasSoft the state will bring the same to the notice of the Ministry for further necessary action.

Your's faithfully

(M. Ramakrishna)
Under Secretary to Govt. Of India

Copy to: Shri Prashant Mittal, STD(NIC)